


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

लदूर लाल पिता रामरतन भीणा नि तलोदा

बनाम

रामदेव पिता देवी भीणा नि. तलोदा नमरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 512/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
23.05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज शीघ्र ही किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया कि क्या है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 266, 267, 292 कुल कित्ता 3 रकबा 0.7203 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि अमरवा के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद हान के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में पत्र का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी को एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाकर्ता सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 वाले से एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 266, 267, 292 कुल कित्ता 3 रकबा 0.7203 हैक्टैयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु मू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौक पर जमा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>